राजकुमार प्रसाद तामरकर

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

04, जनवरी 2007

(न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा एवं मार्कण्डेय काटजू)

दंड संहिता, 1860, धारा 302/ दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 धारा 313

हत्या - पति ने कथित तौर पर अपनी पत्नी के गोली मारकर मृत्यु कारित की - प्रथम सूचना रिपोर्ट - घटनास्थल से बंदूक कि बरामदगी, जहां से धुआं निकल रहा था - विचारण न्यायालय ने अभियुक्त को अपनी पत्नी के हत्या के लिए दोषी माना और उसे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया - उच्च न्यायालय ने आदेश पलट दिया - अपील में, निर्धारित - अभियुक्त की ओर से कोई भी सकारात्मक बचाव नहीं लिया गया, केवल यह सुझाव दिया गया कि मृतका को किसी बाहर के व्यक्ति द्वारा मारा गया है - घटना में, मृत्यु किसी बाहर के व्यक्ति के द्वारा कारित की गई होती तो अभियुक्त वहां उपस्थित अपनी सास/पड़ोसी/पी.डब्ल्यू. 1 को यह बताने के लिये इशारा करता और अनुसंधान अधिकारी को भी अपना स्पष्टीकरण दे देता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। प्रदर्श-7 एक पत्र जो की अभियुक्त की हस्त लिपि में होना साबित हुआ, जिसमें मृतका को जान

से मारने तक के गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। घटना के समय अभियुक्त और मृतका एक ही कमरे में उपस्थित थे-मृतका के बंदूक से कारित क्षति की प्रकृति दर्शाती है कि यह ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित की गई है जो कि कम दूरी से उसको मारने का इरादा रखता था- अभियुक्त और मृतका के मध्य संबंध दूषित थे- विचारण न्यायालय ने प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए आत्महत्या के सिद्धांत को पूरी तरह से असंभव होना सही निर्धारित किया है- अभियुक्त अपने साथ बंदूक लेकर आया जो यह दर्शाता है कि वह मृतका को जान से मारना चाहता था- इस प्रकार प्रकरण के तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पूर्णतः संदेह से परे साबित हुआ है।

भारतीय संविधान 1950 - अनुच्छेद 136

उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार - जहां दो मत संभव हो उच्च न्यायालय द्वारा दोष मुक्ति का निर्णय पारित किया - हस्तक्षेप किया - उच्च न्यायालय सुसंगत दस्तावेज विचार में लेने में असफल रहा और विधिक सिद्धांतों को गलत तौर पर लागू किया- इसलिये यह एक उचित प्रकरण है जिसमें यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 136 द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सके।

अपीलार्थी की पुत्री का विवाह प्रत्यर्थी संख्या **2** के साथ हुआ था जो कि टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी **(**टेल्को**)** में चालक के पद पर

नियोजित था। कथित तौर पर अभियुक्त-पति के एक महिला के साथ संबंध थे। इसी कारण उन दोनों के बीच संबंध दूषित थे। उसकी पत्नी या तो कोलकाता में अपने नाना के घर पर या गिरिडीह में अपने पिता के घर पर रह रही थी। घटना से एक दिन पहले, अभियुक्त-पति उसे अपने साथ ले जाने के लिए अपने ससुर के घर आया। कथित तौर पर उसने अगले ही दिन अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतका के पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। अनुसंधान अधिकारी को उस कमरे से एक बंदूक मिली जहां घटना घटित हुई थी और उसने देखा कि उसमें से धुआं निकल रहा था। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। विचारण न्यायालय ने उसे अपनी पत्नी की हत्या करने का दोषी पाया और उसे आजीवन कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। अपील में उच्च न्यायालय ने माना कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि इस प्रकरण में श्रृंखला की सभी कड़ियां जुड़ी हुई हो, साथ ही अपराध का कोई भी चश्मदीद साक्षी भी नहीं था और अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया गया । इसलिए मृतका के पिता द्वारा वर्तमान अपील दायर की गई।

अपीलार्थी - राज्य ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का निर्णय एक सुस्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है क्योंकि न्यायालय यह विचार करने में असफल रहा कि इस प्रकरण में ना केवल आशय बल्कि श्रृंखला की अन्य सभी कड़ियों को भी परिस्थितियों के अनुसार अभियोजन पक्ष द्वारा साबित

किया गया है। न्यायालय ने अपील स्वीकार की।

अभिनिर्धारित - **1.1** अभियुक्त-पति द्वारा कोई सकारात्मक बचाव नहीं लिया गया। अभियोजन पक्ष के साक्षी गण से जिरह के दौरान उनके द्वारा केवल एक सुझाव दिया गया था कि मृतका की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा की गई थी। **(**पैरा **13) (22-**ए**)**

1.2 प्रदर्श**-7** प्रत्यर्थी-पति द्वारा मृतका को लिखा गया एक पत्र है। उस पत्र में निर्विवाद रूप से प्रत्यर्थी ने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी, यदि वह उस औरत के साथ संबंध के लिये आरोपित करना जारी रखती है। वह पत्र प्रत्यर्थी के हस्तलिपि में होना साबित था। उस पत्र की विषयवस्तु विवादित नहीं है। जिसमें मृतका को धमकी दिये जाने के तथ्य थे। उसे जान से मारने की हद तक गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी। **(**पैरा **14, 18) (22-**बी, जी**)**

1.3 संपूर्ण घटनाक्रम के पश्चात विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने गौर किया कि घटनाक्रम को क्रमबद्ध देखने से यह पता लगता है कि जब घटना घटित हुई तब मृतका और प्रत्यर्थी ही शयन कक्ष में थे, जिससे टेरिस जुड़ा हुआ था। वहां कोई भी अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं था। मृतका की मृत्यु का कारण बंदूक चलने से कारित चोट से होना विवादित नहीं है। **(**पैरा **21) (23-**सी**)**

1.4 शव परीक्षण रिपोर्ट यह दर्शाती है कि जहां तक चोट संख्या एक का संबंध है वह काली पड़ी हुई और झुलसी हुई होना प्रकट हुई है। बंदूक की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए काला पड़ना और झुलसने के बारे में यह स्पष्टतः दर्शित है कि गोली कम दूरी से चलाई गई थी। इसलिए यह ऐसा मामला नहीं हो सकता है जहां मृतका पर **6** फीट से अधिक दूरी से गोली चलाकर किसी के द्वारा उसकी मृत्यु कारित की गई हो। चोट की जगह भी महत्वपूर्ण है। कटा-फटा घाव माथे के मध्य पाया गया था जो कि यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया गया था, जो मृतका को कम दूरी से मारना चाहता था। इसलिए यह संभावना बहुत ही कम थी कि मृतका को इस तरह की चोट किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कारित की जावे जो कि उस टेरिस पर नहीं हो। जब एक बार अभियोजन पक्ष इस बात को प्रकट कर चुका है कि उस सुसंगत समय कमरे और टेरिस पर केवल उस जोडे का ही अनन्य रूप से कब्जा था तो इस तथ्य को साबित करने का भार प्रत्यर्थी पर आ जाता है कि वह यह बताएं कि उसकी पत्नी की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई थी। इसे साबित करने का भार उस पर था। वह इसे साबित करने में असफल रहा। **(**पैरा **22)**

(23-डी-एफ)

निकाराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य ए.आई.आर **(1972)** एससी **2077** तथा त्रिमुख मारोती कीरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य, जेटी **(2006) 9**

एससी **50 2006**, भरोसा किया।

1.5 उच्च न्यायालय यह कैसे कह सकता है कि प्रदर्श-**7**, पत्र, जो कि अभियुक्त द्वारा अपनी मृतका पत्नी को लिखा गया था, वह साबित नहीं हुआ। जबकि मृतका के पिता पी.डब्ल्यू. **13** ने उसे साबित किया है इसकी ग्राह्यता के संबंध में कोई भी आपत्ति नहीं ली गई थी। प्रत्यर्थी के पास अपनी पत्नी को मारने का कथित आशय था अर्थात् उसके अन्य महिला के साथ अवैध संबंध होने के तथ्य को स्वीकृत रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **313** के तहत भी रखा गया था, उसने इससे इनकार नहीं किया। यहां तक कि उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि वह उस पत्र का लेखक था। यदि वह पत्र प्रदर्श-**7** साबित होता है तो प्रत्यर्थी का अपनी पत्नी को मारने का आशय भी स्पष्ट हो जाता है। **(**पैरा **24, 26)**

(24-जी, **26-**बी**)**

1.6 प्रत्यर्थी के आशय के संबंध में एक अन्य मजबूत परिस्थिति यह है कि पक्षकारों के मध्य संबंध असामान्य थे, जिसमें पुनः कोई संदेह या विवाद नहीं है। मृतका की मृत्यु उसकी विवाह की दिनांक से **1** वर्ष में हो गई थी। स्वीकृत रूप से मृतका अपने वैवाहिक गृह में कुल मिलाकर **10** दिन ही रही थी। यद्यपि वह वहां पर यदा-कदा आती रहती थी। सामान्यतया वह अपने नाना के घर कोलकाता में रहती थी। प्रत्यर्थी बार-बार कोलकाता जाता रहता था। यह पूरी तरह से असामान्य था कि मृतका

कोलकाता में अपने संबंधियों के साथ रह रही थी उसके बावजूद उसका पति उससे मिलने नहीं जाता था। **(**पैरा **26)**

(25-बी-सी**)**

1.7 उच्च न्यायालय का यह मत स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि मृतका के पास बंदूक का कब्जा होना साबित नहीं हुआ था। प्रत्यर्थी सुसंगत समय पर मृतका के साथ था। यदि मृत्यु किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कारित की गई थी, तो वह उस समय चिल्ला सकता था। वह प्रथम व्यक्ति हो सकता था जो कि अपने ससुराल वालों को यह बताता कि किस तरफ से वह गोली चली थी। यहां तक कि वह अपने अनुसंधान अधिकारी को अपना स्पष्टीकरण देने के लिये प्रथम व्यक्ति हो सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। **(**पैरा**-29) (25-**जी**)**

1.8 प्रत्यर्थी को उसकी सास द्वारा चारपाई के नीचे कुछ छिपाते हुये देखा गया था। यह सही हो सकता है कि पी.डब्ल्यू**. 3** जो कि मृतका का भाई जब कमरे की तरफ आया तो वह चिल्लाया कि किसी ने उसकी बड़ी बहन की हत्या कर दी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परिस्थितियां इतनी स्पष्ट हो कि वे अभियुक्त के दोषी होने की ओर ईशारा कर सके और अभियुक्त को सिर्फ इसी कथन के आधार पर नजरअंदाज किया जा सके। **(**पैरा**-30) (25-**एच**, 26-**ए**)**

1.9 अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतका को जब परिचर्या गृह ले जा रहे थे तब मृतका की माता ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था यह विवादित नहीं है। यह भी निर्विवादित है कि उस दरवाजे का ताला अनुसंधान अधिकारी की उपस्थिति में खोला गया था। हमले के हथियार के रूप में बंदूक की बरामदगी होना विवादित नहीं है। प्रश्नगत हथियार द्वारा ही चोट पहुंचाने का तथ्य भी विवादित नहीं है। यह हथियार न केवल कार्यशील अवस्था में पाया गया बल्कि अनुसंधान अधिकारी और पी.डब्ल्यू. **12** ने यह पाया कि इसको हाल ही में उपयोग में लिया गया है। **(**पैरा**-32) (26-**सी-डी**)**

2.1 बचाव पक्ष का यह सुझाव था कि मृतका ने आत्महत्या की होगी। आगे यह भी सुझाव दिया गया था कि किसी परिवार के सदस्य ने इस अपराध को कारित किया था। विचारण न्यायालय ने यह पाया कि वह स्थान जहां मृत शरीर पाया गया था वहां आत्महत्या का मत पूरी तरह से असंभव था**,** हालांकि यह प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय नहीं है। मृतका की चूडिया भी टूटी हुई पायी गयी थी। यदि वह कमरे में आत्महत्या करती**,** तो यह संभव नहीं था कि वह भागकर टैरेस पर जाये। यह असंभव था कि कमरे में बंदूक चारपाई के नीचे छिपी हुई मिले। इसके बारे में यह स्वीकृत है कि वह स्थान वहां से कुछ दूर था जहां मृतका पड़ी हुई पाई गई थी। **(**पैरा**-33) (26-**ई-एफ**)**

2.2 यह हो सकता है कि कमरा उस रूप में प्रत्यर्थी के अनन्य कब्जे में नहीं था क्योंकि वह वहां पर स्थाई रूप से नहीं रह रहा था। लेकिन इस बात का इनकार या विवाद नहीं है कि सुसंगत समय पर मृतका व प्रत्यर्थी उस कमरे में अकेले थे। कोई भी अन्य व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं था। यहां तक कि साक्षीगण से इस संबंध में कोई जिरह भी नहीं की गई है। यहां तक कि इस संबंध में उन्हें कोई सुझाव नहीं दिया गया है। **(पैरा-35) (27-ए-बी)**

2.3 प्रत्यर्थी द्वारा बंदूक लेकर आने का तथ्य इस बात को इंगित करता है कि वह मृतका को उसी समय या अन्य समय पर जान से मारना चाहता था। **(पैरा-36) (27-बी-सी)**

2.4 यह ज्ञात नहीं है कि घटना किन परिस्थितियों में कारित हुई। प्रत्यर्थी ने अपना मुंह नहीं खोला था। वह मौन रहने के अधिकार को प्रयोग करने का हकदार था। उसका स्वयं कोई स्पष्टीकरण नहीं देना निश्चायक रूप से यह मानने के लिये पर्याप्त नहीं था कि वह कारित किये गये अपराध का दोषी हो। लेकिन विधिक स्थिति के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि ऐसी परिस्थिति उसके विरूद्ध विचार में ली जा सकती है। **(पैरा-36) (27-सी-डी)**

2.5 यह एक ऐसा प्रकरण नहीं है जहां यह कहा जा सकता हो कि घटना आवेश के परिणामस्वरूप घटित हुई हो। ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि

वहां कोई अचानक से झगड़ा हुआ हो। इसलिये, यह प्रकरण ऐसा नहीं है जहां प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा **304** पार्ट **2** के तहत कारित अपराध के लिये दोषी माना जा सके। **(**पैरा**-37) (27-**ई**)**

संध्या जादव (श्रीमती) बनाम महाराष्ट्र राज्य **(2006) 4** एससीसी **653**, पप्पू बनाम मध्यप्रदेश राज्य **(2006) 7** एससीसी **391**, वडला चन्द्रईया बनाम आंध्रप्रदेश राज्य **(2006) 14** स्केल **108**, आंध्रप्रदेश राज्य बनाम रायावरापु पुन्नैया व अन्य **(1976) 4** एससीसी **382** और लक्ष्मण बनाम मध्यप्रदेश राज्य, जेटी **(2006) (12)** एससी **495,** भरोसा किया।

2.6 यह सत्य है कि ना तो किसी फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ और ना ही किसी बेलिस्टिक विशेषज्ञ को परीक्षित करवाया गया। यहां तक कि बंदूक पर पाये गये खून को रासायनिक परीक्षण के लिये भी नहीं भेजा गया था। लेकिन केवल इन्हीं तथ्यों के आधार पर, उन परिस्थितियों को जिनमें प्रत्यर्थी के विरूद्ध संदेह से परे अपराध को साबित पाया गया हो, को नकारा नहीं जा सकता है। **(**पैरा**-38) (28-**जी**)**

3. यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां दो मत संभव हो, साधारणतः यह न्यायालय दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन इन तथ्यों को देखते हुये कि उच्च न्यायालय सुसंगत तथ्यों को विचार में लेने में असफल रहा है और विधिक सिद्धांतों को गलत तौर पर लागू किया है, यह एक उचित प्रकरण हो जाता है जिसमें संविधान के अनुच्छेद **136** के

तहत दिये गये क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सके, अन्यथा न्याय का गंभीर हनन होगा। **(पैरा-39) (28-एच, 29-ए)**

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब सिंह (मृतक) व अन्य **2005 9** एससीसी **84**, पृथ्वी (नाबालिग) बनाम मामराज व अन्य **(2004) 13** एससीसी **279** और उत्तरप्रदेश राज्य बनाम सतीश **(2005) 3** एससीसी **144,** भरोसा किया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील नं. 932/2000

पटना उच्च न्यायालय रांची बैंच, रांची के आपराधिक अपील नं. 166/1998 (आर) में पारित निर्णय व आदेश दिनांकित 28.02.2022 से

रंजन मुखर्जी व अशोक माथुर-अपीलार्थी की ओर से

अरूप बनर्जी, समीर अली खान एवं देबा प्रसाद मुखर्जी-प्रत्यर्थी की ओर से

बी.बी. सिंह और गोपाल सिंह-झारखंड राज्य की ओर से

न्यायालय का निर्णय पारित किया गया।

न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा 1. राजा राम साव (प्रत्यर्थी) को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अपराध के लिये अभियोजित किया गया था। वह टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी (टेलको) जमशेदपुर में काफिला

चालक के पद पर नियोजित था। उसका विवाह ऊषा देवी (मृतका) के साथ 03.07.1995 को कोलकत्ता में उसके नाना के घर पर हुआ था। वह उनके साथ कोलकत्ता में हमेशा से ही रह रही थी। विवाह संपन्न होने के पश्चात, वह कई बार अपने वैवाहिक घर जमशेदपुर गई थी। हालांकि वह जमशेदपुर कुल मिलाकर 10 दिन ही रूकी थी। मृतका के पिता राजकुमार प्रसाद तामरकर गिरिडिह के निवासी थे।

2. कथित रूप से, प्रत्यर्थी का शहनाज नाम की एक महिला के साथ संबंध था। जिसके संबंध में मृतका ने कथित तौर पर आपत्ति जाहिर की थी। वह अधिकतर समय अपने माता-पिता के साथ गिरिडिह में ही रह रही थी। दिनांक 13.07.1996 को लगभग 04.00 बजे प्रत्यर्थी अपने ससुराल गिरिडिह में आया। उसने अपनी पत्नी की विदाई के बारे में पूछा और उस दिन वह गिरिडिह में ही रूका। यह सहमति हुई थी कि विदाई कार्यक्रम दिनांक 17.07.1996 को हो जायेगा। उस दिन वह गिरिडिह में रूका। दिनांक 14.07.1996 को कथित तौर पर प्रत्यर्थी मृतका और उसके भाई रणजीत कुमार प्रसाद (पी.डब्ल्यू. 3) के साथ जीवन टॉकिज में फिल्म देखने के लिये गया था। मृतका के माता पिता के निवास परिसर में केवल दो ही कमरे थे। एक कमरा द्वितीय मंजिल पर था जो कि शयनकक्ष के रूप में उपयोग किया जाता था और अन्य कमरा प्रथम मंजिल पर था जो कि रसोई के रूप में प्रयोग किया जाता था। उस द्वितीय मंजिल के

शयनकक्ष के बिल्कुल सामने एक खुला टेरिस था। जब रात्रि का खाना परोसा जाना था, तब प्रत्यर्थी के साले को प्रथम मंजिल पर स्थित रसोई में खाना खाने के लिये कहा गया था। मृतका प्रत्यर्थी के लिये खाना लेकर द्वितीय मंजिल पर स्थित कमरे में गई जहां वह रह रहा था।

3. यह विवादित नहीं है कि प्रत्यर्थी टेल्को में काफिला चालक के पद पर होने के कारण विवाह संपन्न होने के पश्चात कई बार कोलकत्ता आया करता था लेकिन वह मृतका के पास कभी भी नहीं आया जबकि मृतका अपने नाना के साथ कोलकत्ता में रह रही थी। आगे यह भी विवादित नहीं है कि जब घटना घटित हुई तब मृतका प्रत्यर्थी के साथ उस घर के द्वितीय मंजिल पर अकेली थी।

4. अभियोजन के अनुसार मामला इस प्रकार है कि जब मृतका प्रत्यर्थी का रात्रि का भोजन लेकर सीढ़ियो से उपर की ओर गई, बंदूक चलने की आवाज सूचनाकर्ता को प्रथम मंजिल पर आयी थी। पी.डब्ल्यू. 3 द्वितीय मंजिल पर तुरंत भागा और देखा कि मृतका बंदूक चलने से आई चोट के कारण खून से लथपथ होकर टैरेस पर पड़ी थी। कथित रूप से वह चिल्लाया कि "दीदी को किसी ने गोली मार दिया"। यह शब्द सुनकर उसके माता पिता भी द्वितीय मंजिल पर भागकर आये और देखा कि उसके सिर पर बंदूक चलने से आई चोट के कारण खून से लथपथ होकर टैरेस पर पड़ी थी। पी.डब्ल्यू. 2 द्वारा प्रत्यर्थी को कुछ छिपाते हुये देखा

गया था। जब मृतका की माता गौरी देवी पी.डब्ल्यू. 2 ने मृतका के सिर को अपनी गोद में रखा तब प्रत्यर्थी भी बाहर आ गया। उसे सीढ़ियों से नीचे लाया गया और परिचर्या गृह ले जाया गया। प्रत्यर्थी भी रिक्शा में उनके साथ गया था। उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतका को परिचर्या गृह ले जाने से पहले पी.डब्ल्यू. 2 ने कमरे के बाहर से ताला लगा दिया था।

5. मृतका के पिता (पी.डब्ल्यू. 13) राजकुमार प्रसाद तामरकर ने इस घटना की सूचना दर्ज करवायी थी।

6. अनुसंधान अधिकारी ने जब ताला खोला तो उसे एक बंदूक मिली जिसमें से अभी भी धुंआ निकल रहा था। यह कमरे में चारपाई से मिली थी।

7. प्रत्यर्थी को गिरफ्तार किया गया। प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपराध को साबित करने के लिये अभियोजन की ओर से विद्वान सेशन न्यायाधीश के समक्ष मुख्य साक्षीगण परीक्षित हुये जिनमें पी.डब्ल्यू. 2, पी.डब्ल्यू. 3 व पी.डब्ल्यू. 13 क्रमशः माता, भाई और मृतका के पिता सूचनाकर्ता थे। निर्विवादित रूप से,जब घटना घटित हुई, वे सभी घर में उपस्थित थे। सदर चिकित्सालय, गिरिडिह डॉ. कौशलेन्द्र कुमार (पी.डब्ल्यू. 1) ने शव परीक्षण रिपोर्ट तैयार की। उन्हें मृतका के शरीर पर निम्नलिखित चोटें मिलीः

"(1) एक गोलाकार क्षत-विक्षत घाव जो कि ग्रेबेला पर (माथे के मध्य) ½ " x ½ " कपाल गुहा गहरे मार्जिन के साथ, काला पड़ा हुआ और झुलसा हुआ था।

(2) बायीं आंख के नीचे नाक के बायीं तरफ अर्धचंद्राकार निशान।

आगे विच्छेदन करने पर एक क्षत-विक्षत घाव जो कि माथे के मध्य (ग्रेबेला) पर त्वचा के नीचे के उत्तक तक और अंतर्निहित ललाट की हड्डी पर एक गोलाकार छेद जो कि ½ " x ½ " कपाल गुहा तक गहरा था।

मस्तिष्क और दिमाग का आगे विच्छेदन करने पर क्षत-विक्षत और पीछे का घाव जो कि कपाल में अतिरिक्त खून के थक्के के साथ था। एक गोली जो कि पीछे के कपाल से निकाली गई थी। गोली को जब्त कर अनुसंधान संस्था को सुपुर्द किया गया।"

8. भारती देवी (पी.डब्ल्यू. 04) जो कि मृतका की चाची और सूचनाकर्ता (पी.डब्ल्यू. 13) के भाई की पत्नी थी। वह भी उसी घर में रह रही थी। उसने भी कथित किया कि उस सुसंगत समय पर प्रत्यर्थी उसी घर में रह रहा था और वह मृतका की विदाई के लिये कहने आया था।

सुरेश कुमार (पी.डब्ल्यू. 3), सूचनाकर्ता का अन्य भाई है वह भी उसी घर में रह रहा था। उसे भी सूचनाकर्ता ने बताया था कि प्रत्यर्थी ही उसकी पुत्री (मृतका) की मृत्यु के लिये जिम्मेदार था।

9. कामेश्वर प्रसाद (पी.डब्ल्यू. 5) भी सूचनाकर्ता का एक अन्य भाई है, वह भी उसी घर में रह रहा था। उसने भी पी.डब्ल्यू. 3 के कथनों का समर्थन किया। बिश्वनाथ शर्मा (पी.डब्ल्यू. 7) पड़ौसी था जो कि धमाके की आवाज सुनकर उस जगह पर आया था, उसे भी सूचनाकर्ता ने घटना के बारे में बताया था। कालि प्रसाद साव (पी.डब्ल्यू. 8), शंभू प्रसाद (पी.डब्ल्यू. 9), सुरेन्द्र साव (पी.डब्ल्यू. 10) और रामदेव प्रसाद यादव (पी.डब्ल्यू. 11) उस कमरे में चारपाई से बरामद हुई खून के निशान वाली बंदूक की जब्ती के गवाह थे, जिसमें सुसंगत समय पर प्रत्यर्थी का कब्जा था। शेसिल डेविड खालको (पी.डब्ल्यू. 12) सर्जंट मेजर था। उसने जब्तशुदा बंदूक का परीक्षण किया और राय दी कि वह कार्यशील अवस्था में थी और उसे हाल ही में उपयोग में लिया गया था। वह पी.डब्ल्यू. 12 के रूप में परीक्षित हुआ।

10. विद्वान सेशन न्यायाधीश ने उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर प्रत्यर्थी को हत्या करने का दोषी माना और उसे आजीवन कठोर कारावास के दंड से दंडित किया।

11. तथाकथित निर्णय को अपील में पलटते हुये उच्च न्यायालय ने अलोच्य निर्णय पारित किया। उच्च न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि

अभियोजन प्रकरण में प्रस्तुत परिस्थितियों से श्रृंखला की प्रत्येक कड़ी को नहीं जोड़ पाया है। उच्च न्यायालय ने यह भी गौर किया कि घटना का कोई भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था।

12. विद्वान सेशन न्यायाधीश द्वारा जिन परिस्थितियों के आधार पर प्रत्यर्थी की भागीदारी को साबित माना गया था वे निम्न हैः-

> "(i) अभियुक्त-अपीलार्थी और मृतका के मध्य विवाह घटना के कुछ समय पहले ही संपन्न हुआ था और अभियुक्त-अपीलार्थी अक्सर कोलकत्ता में अपने ड्यूटी के सिलसिले में आया करता था लेकिन वह मृतका, ऊषा देवी, अपनी पत्नी से कोलकत्ता में नहीं मिलता था। जबकि वह भवानीपुर में स्थित अपने ननिहाल में रह रही थी।
>
> (ii) घटना के समय सीढ़ियों से ऊपर वाले घर में केवल अभियुक्त-अपीलार्थी और मृतका ही उपस्थित थे। वहां उनके अलावा कोई भी नहीं था।
>
> (iii) घटना के तुरंत पश्चात जब घर में रहने वाले लोग गोली चलने की आवाज सुनकर सीढ़ियों से उपर की ओर गये, अभियुक्त-अपीलार्थी कमरे में था जबकि मृतका, ऊषा देवी बंदूक से आयी चोट के कारण खून से लथपथ होकर

टैरेस पर पड़ी थी और वह चारपाई के अंदर कुछ छिपाते हुये पाया गया था।

(iv) जब्तशुदा बंदूक के परीक्षण पर यह पाया गया था कि वह बेकार थी और उसका हाल ही उपयोग किया गया था क्योंकि उसके बैरल में से अभी भी जलने की बदबू आ रही थी।

(v) अभियुक्त-अपीलार्थी का एक महिला, जिसका नाम शहनाज था, के साथ अवैध संबंध थे और सिर्फ शहनाज के साथ अवैध संबंध के रास्ते को साफ करने के अप्रत्यक्ष आशय के लिये ऊषा देवी की हत्या की गई थी। इसी आशय का एक पत्र अभियुक्त-अपीलार्थी द्वारा मृतका को लिखा जाना इस प्रकरण में साबित हुआ है।"

हमने यहां पूर्व के स्वीकृत तथ्यों पर गौर किया जिनके लिये हमें दोबारा उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है

13. प्रत्यर्थी द्वारा कोई सकारात्मक बचाव नहीं लिया गया। अभियोजन पक्ष के साक्षीगण से जिरह के दौरान उनके द्वारा केवल एक सुझाव दिया गया था कि मृतका की हत्या किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा की गई थी।

14. हमारा ध्यान एक पत्र दिनांकित 30.10.1995 (प्रदर्श 7) की ओर आकर्षित हुआ जो कि प्रत्यर्थी की ओर से मृतका को लिखा गया था, उस पत्र में निर्विवाद रूप से प्रत्यर्थी ने गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी थी, यदि वह उसे शहनाज के साथ संबंधों के लिये आरोपित करना जारी रखती है।

15. उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने यह राय दी है कि वहां पर ऐसा कुछ दर्शित नहीं था, जो कि प्रत्यर्थी के साथ बंदूक के संबंध को दिखा सके। विशेष रूप से जब उसे बैलिस्टिक विशेषज्ञ के पास नहीं भेजा गया हो और ना ही उस पर पाये गये खून को रासायनिक परीक्षण के लिये भिजवाया गया हो।

16. उच्च न्यायालय ने यह माना कि अभियोजन पक्ष प्रत्यर्थी के विरूद्ध किसी भी आशय को साबित करने में सफल नहीं हुआ है, ना ही यह दिखाने में सफल हुआ है कि प्रत्यर्थी के मृतका के साथ असामान्य संबंध थे क्योंकि यह स्वीकृत तथ्य है कि तुरंत पश्चात प्रत्यर्थी का साला वहां पहुंचा, प्रत्यर्थी अपने कमरे से बाहर आया तथा उसने मृतका को परिचर्या गृह ले जाने में मदद की। उच्च न्यायालय ने यह माना कि एक अपराधी से इस तरह के आचरण की आशा नहीं की जा सकती थी।

17. उच्च न्यायालय ने आगे यह भी माना है कि किसी ने भी यह व्यक्त नहीं किया है कि बंदूक उस झोले मे रखी थी जो प्रत्यर्थी लेकर

आया था। आगे यह भी गौर किया गया कि वह कमरा जहां प्रत्यर्थी रह रहा था उस पर प्रत्यर्थी का अनन्य कब्जा होना नहीं माना जा सकता था और ऐसी स्थिति में यदि वहां कुछ भी बरामद होता है तो वह प्रत्यर्थी के सजग कब्जे की ओर इशारा नहीं करते हैं। आगे यह भी मत दिया गया कि जो गोली मृतका के शरीर से बरामद हुई है गोली तथा बंदूक को रासायनिक परीक्षण के लिये नहीं भेजा गया, जिससे यह साबित होता कि वह गोली जब्तशुदा बंदूक से ही चलाई गई थी। वहाँ एक अंतराल रह गया जो एक लुप्त कड़ी बन गया।

18. प्रदर्श 7 का प्रत्यर्थी की हस्तलिपि में होना साबित हुआ था। उस पत्र में लिखित तथ्यों के संबंध में कोई विवाद नहीं है। इसमें मृतका को चेतवानियां दी गई थी। उसे जान से मारने की हद तक गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी गई थी।

19. क्रिमीनल अपील नं. 932/2000 में अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री रंजन मुखर्जी और झारखंड राज्य की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बी.बी. सिंह ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय का निर्णय महत्वपूर्ण स्पष्ट त्रुटि से ग्रस्त है क्योंकि यह विचार करने में असफल रहा है कि न केवल आशय बल्कि परिस्थितियों की श्रृंखला में अन्य सभी कड़ियों को अभियोजन पक्ष ने साबित किया है।

20. इसके विपरित प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरूप

बनर्जी ने उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया।

21. संपूर्ण घटनाक्रम के पश्चात विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने गौर किया कि घटनाक्रम को क्रमबद्ध देखने से यह पता लगता है कि जब घटना घटित हुई तब मृतका और प्रत्यर्थी ही शयन कक्ष में थे, जिससे टेरिस जुड़ा हुआ था। वहां कोई भी अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं था। मृतका, ऊषा देवी की मृत्यु का कारण बंदूक चलने से कारित चोट से होना विवादित नहीं है। टेरिस और शयन कक्ष का एक दूसरे से जुड़े होने का तथ्य विवादित नहीं है।

22. शव परीक्षण रिपोर्ट यह दर्शाती है कि जहां तक चोट संख्या एक का संबंध है वह काली पड़ी हुई और झुलसी हुई होना प्रकट हुई है। बंदूक की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए काला पड़ना और झुलसने के बारे में यह स्पष्टतः दर्शित है कि गोली कम दूरी से चलाई गई थी। काला पड़ना या झुलसना तभी संभव है जब गोली लगभग दो से तीन फीट की दूर से चलाई जाये। इसलिए यह ऐसा मामला नहीं हो सकता है जहां मृतका पर 6 फीट से अधिक दूरी से गोली चलाकर किसी के द्वारा उसकी मृत्यु कारित की गई हो। चोट की जगह भी महत्वपूर्ण है। कटा-फटा घाव माथे के मध्य पाया गया था जो कि यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि यह ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित किया गया था, जो मृतका को कम दूरी से मारना चाहता था। इसलिए यह संभावना बहुत ही कम थी कि मृतका को इस तरह की चोट

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कारित की जावे जो कि उस टेरिस पर नहीं हो। जब एक बार अभियोजन पक्ष इस बात को प्रकट कर चुका है कि उस सुसंगत समय कमरे और टेरिस पर केवल उस जोडे का ही अनन्य रूप से कब्जा था तो इस तथ्य को साबित करने का भार प्रत्यर्थी पर आ जाता है कि वह यह बताएं कि उसकी पत्नी की मृत्यु किन परिस्थितियों में हुई थी। इसे साबित करने का भार उस पर था। वह इसे साबित करने में असफल रहा।

23. निकाराम बनाम हिमाचल प्रदेश, ए.आई.आर 1972 एससी 2077 में न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से यह विधिक स्थिति हमारे समक्ष आती है किः

> "गिरजु पी.डब्ल्यू. की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त और मृतका चुरी ही अभियुक्त के घर में रह रहे थे। इसी तरह के कथन मनीराम पी.डब्ल्यू. 8 ने किये है, जो कि अभियुक्त का चाचा है, और भगतराम स्कूल अध्यापक पी.डब्ल्यू. 16 के अनुसार उसने अभियुक्त और मृतका को उनके घर मे घटना के दिन साथ साथ देखा था। मनीराम पी.डब्ल्यू. 8 ने अभियुक्त को उसके घर में तीन बजे देखा जबकि पोशूराम पी.डब्ल्यू. 7 ने अभियुक्त और मृतका को उनके घर में घटना वाले दिन शाम को देखा था। अभियुक्त

ने भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया है कि घटना के दिन वह मृतका के साथ अपने घर में ही था। अभियुक्त के घर में प्रधानमंत्री योजना के अनुसार एक आवासीय कमरा एक अन्य छोटा कमरा और एक बरामदा था। इस योजना की सत्यता को सर्वेक्षक ए.आर. वर्मा (पी.डब्ल्यू. 5) द्वारा साबित किया गया है। एक तथ्य यह है कि अभियुक्त उसके घर में मृतका चूरी के साथ अकेला था, जब खोखरी से उसकी हत्या की गई थी और उनका यह तथ्य कि मृतका के साथ अभियुक्त के संबंध, जैसा कि इसके बाद दिखाया जाएगा, तनावपूर्ण थे, उसके द्वारा किसी ठोस स्पष्टीकरण के अभाव में, उसके अपराध की ओर इशारा करता है।"

त्रिमुख मारोती कीरकन बनाम महाराष्ट्र राज्य, जेटी (2006) 9 एससी 50 2006 में यह मत पारित किया गया है किः

"जहां कथित तौर पर अभियुक्त के विरूद्ध अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप हो और अभियोजन पक्ष इस तरह की साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल रहा हो कि अपराध के घटित होने से तुरंत पहले उन्हें साथ-साथ देखा गया था या घटना आवास गृह में घटित हुई थी जहां पति सामान्यतः निवास करता था। यह लगातार माना जाता रहा है कि यदि

> अभियुक्त यह स्पष्ट नहीं करता है कि उसकी पत्नी के चोटें कैसे कारित हुई या दिया गया स्पष्टीकरण झूठा पाया जाता है तो यह एक मजबूत परिस्थिति होगी जो यह इंगित करती है कि वह अपराध कारित किये जाने के लिये जिम्मेदार है।"

24. हम यह समझने में असफल रहे हैं कि उच्च न्यायालय यह कैसे कह सकता है कि प्रदर्श-7 साबित नहीं हुआ। उसे पी.डब्ल्यू. 13 ने साबित किया है। इसकी ग्राहयता के संबंध में कोई भी आपत्ति नहीं ली गई थी। प्रत्यर्थी के पास अपनी पत्नी को मारने का कथित आशय था अर्थात् उसके शहनाज के साथ अवैध संबंध होने के तथ्य को स्वीकृत रूप से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत भी रखा गया था, उसने इससे इनकार नहीं किया। यहां तक कि उसने इस बात से इनकार नहीं किया कि वह उस पत्र का लेखक था।

25. यह लिखना रूचिकर होगा कि प्रत्यर्थी ने कोई भी सकरात्मक बचाव नहीं लिया है। उसने सभी प्रश्नों का मात्र यह उत्तर दिया है कि उसे इनके बारे में पता नहीं है।

26. यदि कथित पत्र दिनांकित 30.11.1995 साबित होता है तो प्रत्यर्थी का अपनी पत्नी को मारने का आशय भी स्पष्ट हो जाता है। उसे जाने से मारने की धमकी दी गई थी। इस प्रकार यह कहना सही नहीं होगा कि अभियोजन पक्ष आशय को साबित करने में सफल नहीं हो सका था।

प्रत्यर्थी के आशय के संबंध में एक अन्य मजबूत परिस्थिति यह है कि पक्षकारों के मध्य संबंध असामान्य थे, जिसमें पुनः कोई संदेह या विवाद नहीं है। मृतका की मृत्यु उसकी विवाह की दिनांक से 1 वर्ष में हो गई थी। इस एक साल की अवधि में स्वीकृत रूप से मृतका अपने वैवाहिक गृह में कुल मिलाकर 10 दिन ही रही थी, यद्यपि वह वहां पर यदा-कदा आती रहती थी। शादी के बाद सामान्यतया वह अपने नाना के घर कोलकाता में रहती थी। प्रत्यर्थी बार-बार कोलकाता जाता रहता था। यह पूरी तरह से असामान्य था कि मृतका के कोलकाता रहने के बावजूद उसका पति उससे मिलने नहीं जाता था।

27. किसी न किसी कारण से बिदाई कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सका था। स्पष्ट रूप से प्रत्यर्थी बिना किसी पूर्व सूचना के गिरिडीह स्थित अपने ससुराल आया था। उसने बिदाई कार्यक्रम तुरंत करने की मांग की और इस बात पर सहमति हुई कि यह 17.07.1996 को किया जाएगा।

28. विवाहिता पुत्री के माता-पिता उसके सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करेंगे। ससुराल वालों द्वारा प्रत्यर्थी के साथ सामान्य शिष्टाचार का व्यवहार किया जाता था। यहां तक कि सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए दामाद की कुछ गलतियों को भी नजरअंदाज किया जा सकता है। हमारे समक्ष यह विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं है कि अभियोजन साक्षीगण ने यह प्रकट किया है कि मृतका उस महत्वपूर्ण समय पर

प्रत्यर्थी के साथ अकेली थी।

29. उच्च न्यायालय का यह मत स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि मृतका के पास बंदूक का कब्जा होना साबित नहीं हुआ था। प्रत्यर्थी सुसंगत समय पर मृतका के साथ था। यदि मृत्यु किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा कारित की गई थी, तो वह उस समय चिल्ला सकता था। वह प्रथम व्यक्ति हो सकता था जो कि अपने ससुराल वालों को यह बताता कि किस तरफ से वह गोली चली थी। यहां तक कि वह अनुसंधान अधिकारी को अपना स्पष्टीकरण देने के लिये प्रथम व्यक्ति हो सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया।

30. प्रत्यर्थी को उसकी सास द्वारा चारपाई के नीचे कुछ छिपाते हुये देखा गया था। यह सही हो सकता है कि पी.डब्ल्यू. 3 जो कि मृतका का भाई जब कमरे की तरफ आया तो वह चिल्लाया कि किसी ने उसकी बड़ी बहन की हत्या कर दी है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि परिस्थितियां इतनी स्पष्ट हो कि वे अभियुक्त के दोषी होने की ओर ईशारा कर सके और अभियुक्त को सिर्फ इसी कथन के आधार पर नजरअंदाज किया जा सके।

31. पी.डब्ल्यू. 4 सहित पी.डब्ल्यू. 13 के अन्य भाई घटना स्थल पर तुरंत आ गये थे। घटना के तुरंत बाद पी.डब्ल्यू. 7 जो कि पड़ौसी था, भी घटना स्थल पर आ गया था। प्रत्यर्थी ने उनके समक्ष कोई भी

स्पष्टीकरण नहीं दिया था। उसने उनको यह भी नहीं बताया कि उसकी पत्नी को बंदूक की गोली से चोट कैसे लगी।

32. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतका को जब परिचर्या गृह ले जा रहे थे तब मृतका की माता ने दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया था यह विवादित नहीं है। यह भी निर्विवादित है कि उस दरवाजे का ताला अनुसंधान अधिकारी की उपस्थिति में खोला गया था। हमले के हथियार के रूप में बंदूक की बरामदगी होना विवादित नहीं है। प्रश्नगत हथियार द्वारा ही चोट पहुंचाने का तथ्य भी विवादित नहीं है। यह हथियार न केवल कार्यशील अवस्था में पाया गया बल्कि अनुसंधान अधिकारी और पी.डब्ल्यू. 12 ने यह पाया कि इसको हाल ही में उपयोग में लिया गया है।

33. हम इस पर गौर कर सकते हैं कि बचाव पक्ष का यह सुझाव था कि मृतका ने आत्महत्या की होगी। आगे यह भी सुझाव दिया गया था कि किसी परिवार के सदस्य ने इस अपराध को कारित किया था। विद्वान सेशन न्यायाधीश ने यह पाया कि वह स्थान जहां मृत शरीर पाया गया था वहां आत्महत्या का मत पूरी तरह से असंभव था, हालांकि यह प्रश्न इस न्यायालय के समक्ष विचारणीय नहीं है। मृतका की चूड़िया भी टूटी हुई पायी गयी थी। यदि वह कमरे में आत्महत्या करती, तो यह संभव नहीं था कि वह भागकर टैरेस पर जाये। यह असंभव था कि कमरे में बंदूक चारपाई के नीचे छिपी हुई मिले। इसके बारे में यह स्वीकृत है कि वह स्थान वहां

से कुछ दूर था जहां मृतका पड़ी हुई पाई गई थी।

34. श्री बनर्जी द्वारा दिये गये इस तर्क को स्वीकार करना कठिन होगा कि यदि प्रत्यर्थी गोली चलाता तो वह बंदूक को कहीं दूर फेंक सकता था। प्रत्यर्थी ने किन परिस्थितियों में ऐसा किया, यह केवल अनुमान का विषय हो सकता है। यह सर्वविदित है कि भिन्न-भिन्न व्यक्ति एक ही परिस्थिति में भिन्न प्रकार से व्यवहार करते है। यह बिल्कुल संभव है कि यदि बंदूक को फेंक दिया जाता तो वह तुरंत ही मिल जाती।

35. श्री बनर्जी ने तर्क दिया कि वह कमरा प्रत्यर्थी के अनन्य कब्जे में नहीं था क्योंकि वह वहां पर स्थाई रूप से नहीं रह रहा था। लेकिन इस बात का इनकार या विवाद नहीं है कि सुसंगत समय पर मृतका व प्रत्यर्थी उस कमरे में अकेले थे। कोई भी अन्य व्यक्ति वहां उपस्थित नहीं था। यहां तक कि साक्षीगण से इस संबंध में कोई जिरह नहीं की गई है। यहां तक कि इस संबंध में उन्हें कोई सुझाव नहीं दिया गया है।

36. यह भी बहस की गई थी कि प्रत्यर्थी का इरादा मृतका को मारने का होता तो वह इसे 17.07.1996, जिस दिन बिदाई कार्यक्रम होना था, के पश्चात् कर सकता था। प्रत्यर्थी द्वारा बंदूक लेकर आने का तथ्य इस बात को इंगित करता है कि वह मृतका को उसी समय या अन्य समय पर जान से मारना चाहता था। उसने यह सोचा होगा कि बिदाई कार्यक्रम 13.07.1996 या 14.07.1996 को हो जायेगा। जब यह स्थगित हुआ, तो

हो सकता है कि उसे मारने का मौका मिल गया हो। यह ज्ञात नहीं है कि घटना किन परिस्थितियों में कारित हुई। यह बताना दोहराव हो जायेगा कि प्रत्यर्थी ने अपना मुंह नहीं खोला था। वह मौन रहने के अधिकार को प्रयोग करने का हकदार था। उसका स्वयं कोई स्पष्टीकरण नहीं देना निश्चायक रूप से यह मानने के लिये पर्याप्त नहीं था कि वह कारित किये गये अपराध का दोषी हो। लेकिन विधिक स्थिति के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि ऐसी परिस्थिति उसके विरूद्ध विचार में ली जा सकती है।

37. यह एक ऐसा प्रकरण नहीं है जहां यह कहा जा सकता हो कि घटना आवेश के परिणामस्वरूप घटित हुई हो। ऐसी कोई साक्ष्य नहीं है कि वहां कोई अचानक से झगड़ा हुआ हो। यहां तक कि उच्च न्यायालय ने ऐसा अपने निर्णय के पैराग्राफ 11 में कहा था। इसलिये, यह प्रकरण ऐसा नहीं है जहां प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 पार्ट 2 के तहत कारित अपराध के लिये दोषी माना जा सके।

संध्या जादव (श्रीमती) बनाम महाराष्ट्र राज्य (2006) 4 एससीसी 653 में न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि

> “ ...... अपवाद - 4 की सहायता ली जा सकती है यदि मृत्यु का कारण (ए) बिना पूर्वचिंतन के हो (बी) अचानक झगड़े में हो (सी) अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य किए बिना (डी) मरने

वाले व्यक्ति के साथ लड़ाई हुई हो। प्रकरण को अपवाद 4 में लाने के लिये इसमें अंकित सभी तत्व विद्यमान होने चाहिये। यह भी लिखना सही होगा कि धारा 300 भा.दं.सं. के अपवाद 4 के अनुसार लड़ाई को भा.दं.सं. में परिभाषित नहीं किया गया है। लड़ाई के लिये दो लोगों का होना आवश्यक है। अत्यधिक आवेश के लिये यह आवश्यक है कि वहां उस आवेश को कम करने के लिये कोई समय नहीं मिला हो और इस प्रकरण में शुरुआत में मौखिक तकरार के कारण पक्षकारों में रोष व्याप्त हो गया। झगड़े में दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य विवाद होता है, जो कि अस्त्र सहित अथवा अस्त्र रहित हो सकता है। अचानक होने वाला झगड़ा किसे माना जाएगा, इसके बारे में किसी सामान्य नियम का वर्णन करना संभव नहीं है।"

(पप्पू बनाम मध्यप्रदेश राज्य (2006) 7 एससीसी 391, पैरा 13, वडला चन्द्रईया बनाम आंध्रप्रदेश राज्य (2006) 14 स्केल 108 को देखें)

आंध्रप्रदेश राज्य बनाम रायावरापु पुन्नैया व अन्य (1976) 4 एससीसी 382 में न्यायालय ने निर्धारित किया है किः

" दंड संहिता की योजना में आपराधिक ''मानव वध'' वंश है और ''हत्या'' उसकी प्रजाति है। सभी ''हत्या'' ''आपराधिक

मानव वध'' है लेकिन इसके विपरीत नहीं। सामान्यतया बोलने में ''आपराधिक मानव वध'' ''हत्या की विशिष्ट विशेषताओं'' के बिना ''हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानव वध'' है। सजा निर्धारित किये जाने के उद्‌देश्य से सामान्य अपराध की गंभीरता के अनुपात में संहिता व्यवहारिक तौर पर आपराधिक मानव वध की तीन डिग्रीयों को मान्यता देती है। प्रथम, जिसे कहा जा सकता है, ''प्रथम श्रेणी का आपराधिक मानव वध'' है। यह आपराधिक मानव वध का सबसे बड़ा रूप है जिसे धारा 300 में ''हत्या'' के रूप में परिभाषित किया गया है। द्‌वितीय जिसे ''दूसरी श्रेणी का आपराधिक मानव वध कहा जा सकता है। यह धारा 304 के प्रथम भाग के तहत दंडनीय है। फिर, तीसरी श्रेणी का आपराधिक मानव वध है। यह आपराधिक मानव वध का सबसे निम्न स्तर है और इसके लिए प्रदान की गई सजा भी, तीनों श्रेणियों के लिए प्रदान की गई सजाओं में सबसे कम है। इस श्रेणी का आपराधिक मानव वध धारा 304 के द्‌वितीय भाग के तहत दंडनीय है। "

(लक्ष्मण बनाम मध्यप्रदेश राज्य, जेटी 2006 12 एससी 495)

38. यह सत्य है कि ना तो किसी फिंगर प्रिंट विशेषज्ञ और ना ही किसी बेलिस्टिक विशेषज्ञ को परीक्षित करवाया गया। यहां तक कि बंदूक पर पाये गये खून को रासायनिक परीक्षण के लिये भी नहीं भेजा गया था। लेकिन केवल इन्हीं तथ्यों के आधार पर, उन परिस्थितियों को जिनमें प्रत्यर्थी के विरूद्ध संदेह से परे अपराध को साबित पाया गया हो, को नकारा नहीं जा सकता है।

39. हम इस न्यायालय की सीमाओं से भिज्ञ हैं। यह सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां दो मत संभव हो, साधारणतः यह न्यायालय दोषमुक्ति के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करता है। लेकिन इन तथ्यों को देखते हुये कि उच्च न्यायालय सुसंगत तथ्यों को विचार में लेने में असफल रहा है और विधिक सिद्धांतों को गलत तौर पर लागू किया है, यह एक उचित प्रकरण हो जाता है जिसमें संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत दिये गये क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सके, अन्यथा न्याय का गंभीर हनन होगा।

इस प्रकृति के मामले में इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी सर्वविदित है।

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम नवाब सिंह (मृतक) व अन्य (2005) 9 एससीसी 84 में इस न्यायालय ने निर्धारित किया है

"यह सुस्थापित है कि जब उच्च न्यायालय का तर्क अनुचित हो, तो यह न्यायालय दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त कर सकता है और अभियुक्त को दोषसिद्धि और दी गई सजा के निर्णय को बहाल कर सकता है। (देखें रामानंद यादव बनाम प्रभु नाथ झा)। आगे यह सुस्थापित है कि अपीलीय न्यायालय के लिये साक्ष्य की समीक्षा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जिस पर दोषमुक्ति का आदेश आधारित हो।"

पृथ्वी (नाबालिग) बनाम मामराज व अन्य (2004) 13 एससीसी 279 और उत्तरप्रदेश राज्य बनाम सतीश (2005) 3 एससीसी 144 देखें।

40. उपरोक्त कारणों से, हम उच्च न्यायालय के निर्णय को अपास्त करते हैं और विद्वान सत्र न्यायाधीश के फैसले को बहाल करते हैं। अपीलें स्वीकार की जाती हैं। प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई जाती है। सजा भुगतने के लिए उसे तुरंत हिरासत में लिया जा सकता है।

एस.के.एस.

अपील स्वीकार

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुमन गुप्ता (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।